

GOVERNMENT OF N.C.T. OF DELHI
OFFICE OF THE ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE
FIRST APPELLATE AUTHORITY(N/E)
D.C. OFFICE COMPLEX, NAND NAGRI, DELHI

F.NO. PA/ADM/NE/RTI/APPEAL/51/2017/ 1518

Dated: 22/03/18

Sh. Sanjay Kumar. Appellant
Vs.
PIO/Registrar of Societies (SDM-Yamuna Vihar)

ORDER

Present : Sh. Indramani Pandey, LDC on behalf of PIO/Registrar of Societies (SDM-Yamuna Vihar)

The appellant did not appear.

The matter taken up.

The representative appeared on behalf of PIO/Registrar of Societies (SDM-Yamuna Vihar) has informed that information has been sent to the applicant vide letter dated 28.02.2018. The copy of the same has also submitted during the course of hearing, which has been taken on record.

As appellant did not appear, which seems that he is satisfied with the information as provided to him by the PIO/Registrar of Societies (SDM-Yamuna Vihar).

Accordingly, this appeal is hereby disposed of.


(M.K. Dwivedi)


First Appellate Authority-ADM (NE)

Applicant may refer section 19(3) of RTI Act-2005 – A Second Appeal against the decision lies within 90 days from the date on which the decision has been made. Second Appeal can be made with Central Information Commission, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066.

F.NO. PA/ADM/NE/RTI/APPEAL/51/2017/

Dated:

1. Sh. Sanjay Kumar (Cashier), V-158, Mandir Wali Gali No.4, Arvind Nagar, Delhi-110053
2. PIO/ PIO/Registrar of Societies (SDM-Yamuna Vihar), Distt. North East, Delhi
3. DIO, NIC, Distt. North-East, Delhi with advice for uploading on website.

Receipt Date 23/3/18
Sign. 


(M.K. Dwivedi)

First Appellate Authority-ADM (NE)

सेवा में,

श्रीमान A.D.M (MIE)

प्रथम अपील अधिकारी

D.S. ...
...

विषय - जनसूचना अधिकार के तहत प्रथम अपील।

महोदय,

मैंने आपके विभाग ... में दिनांक 29/11/2017 को जनसूचना अधिकार के तहत कुछ जानकारी मांगी थी। जोकि आज तक मुझे उपलब्ध नहीं कराई गई है।

कृपया करके सम्बन्धित विभाग को जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश दें एवं जवाब में हुई देरी का कारण भी स्पष्ट कराने के आदेश दें।

धन्यवाद!

Sanjay Kumar 29/11/2018

नाम : ...

पता : ...

...

...

By Post
24/01
31/01/18

ज्या में,

श्री मान जन सूचना अधिकारी
रजिस्टार आफ सोसाइटीज (N/E)
डी. सी. ऑफिस काम्प्लेक्स
नन्द नगरी दिल्ली -110093

दिनांक 09/12/2017

विषय :- जन सूचना अधिकार के तहत जानकारी लेने हेतु।
महोदय,

मुझे जन सूचना अधिकार के तहत जागृति को-आपरेटिव अर्बन थ्रिप्ट एव क्रेडिट सोसाइटी लि.जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 10201/NE/TC/2008 के विषय में निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराये।

1. रजिस्टर्ड को-आपरेटिव अर्बन थ्रिप्ट एव क्रेडिट सोसाइटी में कैशियर की क्या ड्यूटी और क्या अधिकार होते है इस विषय में इस विभाग के क्या नियम है पूर्ण विवरण प्रतिलिपि सहित उपलब्ध कराये।
2. किसी भी रजिस्टर्ड को - आपरेटिव अर्बन थ्रिप्ट एव क्रेडिट सोसाइटी में अध्यक्ष और सचिव की क्या ड्यूटी और क्या अधिकार होते है इस विषय में इस विभाग के क्या नियम है अध्यक्ष और सचिव अगर अपनी मनमानी करते है तो उन पर अंकुश लगाने के लिए कैशियर की क्या जिम्मेदारी और अधिकार होते है पूर्ण विवरण प्रतिलिपि सहित उपलब्ध कराये।
3. किसी भी रजिस्टर्ड को-आपरेटिव अर्बन थ्रिप्ट एव क्रेडिट सोसाइटी में कंप्लेसरी डिपॉजिट (CD) पर मेंबर को कितना ब्याज मिलना चाहिए इस विषय में इस विभाग के क्या नियम है पूर्ण विवरण प्रतिलिपि सहित उपलब्ध कराये।
4. किसी भी रजिस्टर्ड को - आपरेटिव अर्बन थ्रिप्ट एव क्रेडिट सोसाइटी से लोन लेने वाले मेंबर से से कौन - कौन से चार्ज लिए जा सकते है जैसे बिलडिंग फण्ड /स्टेशनरी चार्ज भी लिया जा सकता है या नहीं और यह चार्ज लोन लेने वाले मेंबर को एक बार ही देने होता है या जब भी वो लोन लेगा उसको हर बार यह चार्ज देना होता है इस विषय में इस विभाग के क्या नियम है पूर्ण विवरण प्रतिलिपि सहित उपलब्ध कराये।
5. किसी भी रजिस्टर्ड को - आपरेटिव अर्बन थ्रिप्ट एव क्रेडिट सोसाइटी को रजिस्ट्रड करवाते समय जो नियम बनाये जाते है उन नियम पर ही सोसाइटी को चलाया जा सकता है या कोई भी नियम अपनी मर्जी से कोई पद अधिकारी बना सकता है इस विषय में इस विभाग के क्या नियम है पूर्ण विवरण प्रतिलिपि सहित उपलब्ध कराये।
6. इस जागृति को - आपरेटिव अर्बन थ्रिप्ट एव क्रेडिट सोसाइटी लि. को रजिस्ट्रड करवाते समय क्या नियम बनाये गए थे उनका पूर्ण विवरण प्रतिलिपि सहित उपलब्ध कराये।
7. लोन लेते समय रजिस्टर्ड को - आपरेटिव अर्बन थ्रिप्ट एव क्रेडिट सोसाइटी में ऐसा कोई नियम है की लोन लेने वाला मेंबर लोन अमाउंट का 1% सोसाइटी में देना ज़रूरी होता है इस विषय में इस विभाग के क्या नियम है पूर्ण विवरण प्रतिलिपि सहित उपलब्ध कराये।
8. यह सोसाइटी लोन लेने वाले मेंबर से लोन अमाउंट का 1% ले रही है इस राशि को इस सोसाइटी को किस खाते में जमा करना चाहिए और वह इस तरह के पैसे को कहा समायोजित कर सकते है इस विषय में इस विभाग के क्या नियम है पूर्ण विवरण प्रतिलिपि सहित उपलब्ध कराये।
9. यह सोसाइटी लोन लेने वाले मेंबर से लोन पर 1.5% का ब्याज ले रही है कितने प्रतिशत का ब्याज इस सोसाइटी को लेने का अधिकार है इस विषय में इस विभाग के क्या नियम है पूर्ण विवरण प्रतिलिपि सहित उपलब्ध कराये।
10. किसी भी सोसाइटी में कोई गबन हो जाता है तो उसके लिए सोसाइटी के कौन कौन अधिकारी जिम्मेदार होंगे इस विषय में इस विभाग के क्या नियम है पूर्ण विवरण प्रतिलिपि सहित उपलब्ध कराये।
11. यह सोसाइटी मेंबर का जो पैसा जमा है उस पैसे से कोई प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है या नहीं और इस प्रॉपर्टी को किस के नाम से खरीदा जा सकता है इस विषय में इस विभाग के क्या नियम है पूर्ण विवरण प्रतिलिपि सहित उपलब्ध कराये।

संजय कुमार (कैशियर)

(जागृति को-आपरेटिव अर्बन थ्रिप्ट एव
क्रेडिट सोसाइटी लि.)

R/O-V-158, शिव मंदिर वाली मली नंबर 4
असहिन्द नगर मोहा दिल्ली -110093

मो. 9952000000

OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL MAGISTRATE (YAMUNA VIHAR)
D.C. OFFICE COMPLEX, J-BLOCK, NAND NAGRI, DELHI-110093

No. F. (R TI)/SDM/YV./PIO/2018

149-149

Dated

28/2/18

To,

Registrar of Society,
Corporative Urban,
Thrift & Credit Society,
Sansad Marg, Delhi-110001


Sub. Transfer of application I.D. No. 3401 dated 31/01/2018 Received from Sh. Sanjay Kumar under Sub-Section (3) of Section 6 of RTI Act, 2005.

Sir,

1. The undersigned has received the above application I.D. No. 3401 dated 31/01/2018 under the RTI Act, 2005.
2. The requisite information does not fall within my jurisdiction as Stated in the application.
3. The question No. 1 to 11 of the application is therefore being transferred to you under Sub-section (3) of Section 6 of RTI Act, 2005, for further necessary action.
4. In case it does not fall under your jurisdiction it may please be further transferred to the Public Authority to which the subject matter is more closely connected, directly under intimation to the application.

Enc. As above


Yours faithfully


PIO/ (Yamuna Vihar
Distt. North-East)

No. F. (R TI)/SDM/YV./PIO/2018

Dated:

Copy forwarded for information to the applicant Sh. Sanjay Kumar (Cashier) R/o H.No. V-158, Shri. Mandir Wali Gali No. 04, Arvind Nagar, Ghonda, Delhi-110053 (By Speed Post) for information.


PIO/ (Yamuna Vihar
Distt. North-East)

o/c

GOVERNMENT OF N.C.T. OF DELHI
OFFICE OF THE ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE
FIRST APPELLATE AUTHORITY (N/E)
D.C. OFFICE COMPLEX, NAND NAGRI, DELHI
PH.NO.22115490, 22115513(Fax)

F.NO. PA/ADM/NE/RTI/APPEAL/ 51/2017/1412

Dated: 13/03/18

NOTICE

Whereas an appeal under RTI Act, 2005 has been filed by
Sh./Ms. Sanjay Kumar (Cashier)
R/o. V-158, Shiv Mandir wali Gali No. 4, Arvind Nagar, on
Delhi - 53.
bearing ID No. _____ dated _____.

In the above said matter, the date of hearing is fixed for 21.03.18 at 12.30 pm. Above
named appellant is hereby directed to ensure his presence before the Additional District Magistrate (NE) / First
Appellate Authority on the date and time, as fixed above.

[Signature]
13/03/18

Sr. PA to ADM (NE)
Distt. North East, Delhi

To
Sh. Sanjay Kumar (Cashier)

R/o. V-158, Mandir wali Gali
No. 4, Arvind Nagar,
Delhi - 110053.

F.NO. PA/ADM/NE/RTI/APPEAL/_____/2017/

Dated:

Copy to :-

1. PIO/ S. Registrar of SD Distt. North East, Delhi along with the copy of RTI appeal.
2. PIO/ SDM / y.v. Distt. North East, Delhi along with the copy of RTI appeal.

[Signature]
13.03.18

Sr. PA to ADM (NE)
Distt. North East, Delhi